उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, 10 माल एवेन्यू लखनऊ।

पत्रॉक: 38742-44 /वसूली/2017–18 दिनॉक: 04.07.17

समस्त शाखा प्रबन्धक
उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

बैंक मुख्यालय के पत्रॉक 38683-85/वसूली/2017-18 दिनॉक 28.06.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा यह निर्देश प्रसारित किये गये थे कि बैंक का विशेष वसूली अभियान अगले 15 कार्यशील दिवसों तक बढ़ाया जा रहा है तथा बैंक हित में बढ़ाये गये विशेष वसूली अभियान के 15 कार्यशील दिवसों में वसूल की गई धनराशि को पृथक रखा जायेगा। उक्त अवधि की वसूली प्रगति की समीक्षा अलग से अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जायेगी तथा आपके कार्यो के मूल्यांकन के समय संज्ञान में लिया जायेगा।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि सहकारी वसूली वर्ष 2017-18 प्रारम्भ हो चुका है और विगत सहकारी वसूली वर्ष में बैंक की वसूली गत वर्ष से काफी अधिक धनराशि से पीछे है, जो कि बैंक हितों के प्रतिकूल है, इस हेतु हमें विशेष कार्ययोजना के अर्न्तगत वसूली के प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। चूँकि बैंक नाबार्ड से वित्त पोषण प्राप्त करके अपना व्यवसाय करता है, और समय-समय पर उसकी किश्तों का भुगतान भी करना आवश्यक होता है, इस हेतु उचित है कि अपने वितरित ऋणों की वसूली अधिक से अधिक किया जाये, क्योंकि बैंक के पास केवल वसूली ही आय का प्रमुख स्रोत है, यदि हम सभी अपनी वसूली को सही प्रकार से नहीं कर पायेंगे तो हमें नाबार्ड की देनदारी, बैंक व्यवसाय एवं प्रबन्धकीय व्ययों के निष्पादन में भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

अतः उक्त स्थितियों तथा वसूली के प्रतिदिन प्रवाह एवं सम्भावनाओं के दृष्टिगत रखते हुए वसूली अनवरत् चलती रहेगी तथा बैंक देयों की वसूली हेतु की जा रही यथा आवश्यक कार्यवाहियॉ भी चलती रहेंगी। उक्त अवधि में वसूल की जा रही धनराशि को जिस तिथि में वसूल किया जा रहा है, उसी तिथि में रसीद निर्गत की जायेगी(अर्थात दिनॉक 04.07.2017 को कोई कृषक अपने ऋण खाते में धनराशि जमा करता है तो उसे उसी तिथि की रसीद निर्गत की जाये)। **इसमें किसी प्रकार का विचलन पाये जाने पर कार्यवाही की जायेगी।**

अतएव समस्त शाखा प्रबन्धकों एवं आपके अधीनस्थ फील्ड कार्मिकों को यह निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार दिये जा रहे निर्देशों का पालन करते हुए अभी से कार्ययोजना बनाते हुए वसूली हेतु सघन भ्रमण करते हुए बैंक देयों की वसूली करना सुनिश्चित करें, तथा यह भी सुनिश्चित करें कि किसी भी दशा में शाखा की वसूली गत वर्ष की तुलना में पीछे न रहने पाये तथा मॉग के सापेक्ष शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करायें। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता पाये जाने पर कठोर कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

हमें आप सभी से अपेक्षा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि वर्तमान वसूली वर्ष 2017-18 में बैंक देयों की वसूली हेतु अभी से सार्थक प्रयास करते हुए वसूली में आशातीत् प्रगति लायेगें।

(के0पी0 सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1-समस्त जनपद/मण्डल पर्यवेक्षक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय/प्रशि0के0 लखनऊ को इस आशय से सूचनार्थ कि वह अपने आवंटित जनपद/मण्डल की शाखाओं की वसूली में अपेक्षानुरूप प्रगति सुनिश्चित करायें।

2- उप महाप्रबन्धक(कम्प्यूटर), उ0प्र0 सह0ग्रा0 वि0 बैंक लि0, प्र0का0 को बैंक की शाखाओं पर ई0मेल कराने हेतु।

(आर0बी0 गुप्ता)
मुख्य महाप्रबन्धक(प्रशा0/वसूली)